

भाग—V

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार से किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

18— राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग ख या भाग ग भाग घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

यदि उपर्युक्त में से किसी के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है।

ns

Anupam Gupta
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
Lucknow

दिनांक— 21/01/21

स्थान—

नाम—

सरकारी मोहर